

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252926
SG-DL-E-13032024-252926असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 462
No. 88]	DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945	[N. C. T. D. No. 462

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मार्च, 2024

F.14(91)/LA-2024/jtsecylaw/244-253.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 08th March, 2024 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2024

(2024 का दिल्ली अधिनियम 02)

(04th March, 2024 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[08 March, 2024]

वर्ष 2023-2024 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

₹ 824,86,44,000/- का वर्ष 2023-2024 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2024 है।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभागों की अदायगी के लिए आठ सौ चौबीस करोड़ छियासी लाख चौवालीस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2023-2024 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	200	200	400
		पूँजी	100	0	100
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	906649	300	906949
		पूँजी	100	333450	333550
4	वित्त	राजस्व	200	1000	1200
		पूँजी	500	0	500
5	गृह	राजस्व	300	13500	13800
		पूँजी	200	0	200
6	शिक्षा	राजस्व	650	300	950
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	1314	100	1414
		पूँजी	700	0	700
8	समाज कल्याण	राजस्व	1562671	0	1562671
		पूँजी	5362900	0	5362900
9	उद्योग	राजस्व	0	59900	59900
10	विकास	राजस्व	900	10	910
		पूँजी	400	0	400
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	700	0	700
		पूँजी	1400	0	1400
	योग		7839884	408760	8248644

समर विशाल, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 8th March, 2024

F.14 (91)/LA-2024/ jtsecylaw/244-253.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 08th March, 2024 and is hereby published for general information.

“THE DELHI APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2024”**(DELHI ACT No. 02 OF 2024)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 04th March, 2024).

[08th March, 2024]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2023-2024.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2024.

Issue of `824,86,44,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2023-2024.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees eight hundred twenty four crore eighty six lakh forty four thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2023-2024 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(` In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
2	General Administration	Revenue	200	200	400
		Capital	100	0	100
3	Administration of Justice	Revenue	906649	300	906949
		Capital	100	333450	333550
4	Finance	Revenue	200	1000	1200
		Capital	500	0	500
5	Home	Revenue	300	13500	13800
		Capital	200	0	200
6	Education	Revenue	650	300	950
7	Medical and Public Health	Revenue	1314	100	1414
		Capital	700	0	700
		Revenue	1562671	0	1562671

8	Social Welfare	Capital	5362900	0	5362900
9	Industries	Revenue	0	59900	59900
10	Development	Revenue	900	10	910
		Capital	400	0	400
11	Urban Development and Public Works	Revenue	700	0	700
		Capital	1400	0	1400
	Total		7839884	408760	8248644

SAMAR VISHAL, Spl. Secy.